क.

यमाल मनोजभाई बनाम.

भारत संघ व अन्य

(लेखन याचिका (सीआरएल) 2023 का सं. 55) 04 मई, 2023

[कृष्णा मुरारी और संजय करोल**,** जे**.** जे**.]**

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962-ss.123, 127 बी-यू/एस निर्दिष्ट जब्त माल।123, निपटान का उपाय यू/एस।127 बी यदि उपलब्ध हो-आयोजित:प्रति कृष्ण मुरारी, जे. सीमा शुल्क क्षेत्र के भीतर जब्ती के मामलों में,s.123 आवेदन नहीं कर सकता है और अभियुक्त समझौते के उपाय का हकदार है-सुरेश रहेजा मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कानून की सही स्थिति बताई गई है-संजय करोल, जे. प्रोविसो के अनुसार एस।127 बी (1) उन वस्तुओं की कुछ श्रेणियों को निर्दिष्ट करता है जो निपटान आयोग के अधिकार क्षेत्र से वर्जित हैं, जिसमें उल्लिखित वस्तुएं भी शामिल हैं।123 और एन. डी. पी. एस. अधिनियम से संबंधित माल-इस प्रकार,s.127B गणना की गई वस्तुओं के संबंध में निपटान के लिए लागू नहीं होगा।123 – राय के विचलन को देखते हुए, उचित आदेशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामला रखा जाना चाहिए-भारत का संविधान-अनुच्छेद 21।

ग

डी.

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सुरेश रहेजा और ओआरएस। **2011 (267)**

ई.

ई**.** एल**.** टी**. 487 (**बम**.)-**अनुमोदित।

लीलावती बाई बनाम मैसूर राज्य ए**.** आई**.** आर **1957** एस**.** सी**. 521:**

[1957] एस**.** सी**.** आर**. 721-**संदर्भित।

सीमा शुल्क के अतिरिक्त आयुक्त बनाम राम निवास वर्मा

2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 11542; सीमा शुल्क आयुक्त बनाम अविनाश डावर और अन्र। 2015 एससीसी ऑनलाइन डेल 13875;

च

सीमा शुल्क आयुक्त बनाम ज्योत्सना चिकेरसल और अन्र।

2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 6574; अतिरिक्त सीमा शुल्क आयोग बनाम अशोक कुमार 2016 (336) ई. एल. टी. 224 (डेल);

टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

जी.

2006 (201) ई**.** एल**.** टी**. 529 (**बम**)-**संदर्भित।

सीमा शुल्क आयुक्त बनाम एम**.** अंबालाल **(2011) 2** एससीसी **74:[2010] 15** एस**.** सी**.** आर**. 937;** उत्तरी निगम बनाम संघ

भारत **(1990) 4** एस**.** सी**.** सी**. 239:[1990] 3** एससीआर **621;** दलीप

सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। **(2010) 2** एससीसी **114:**

[2009] 16 एस**.** सी**.** आर**. 111-**संदर्भित।

एच.

916

917

यमाल मनोजभाई बनाम भारत और हमारा संघ।

क.

भारत संघ बनाम सुरेश रहेजा **2011 (267)** ई**.** एल**.** टी**. 487 (**बम**);** सीमा शुल्क के अतिरिक्त आयुक्त बनाम राम

निवास वर्मा 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 11542;

सीमा शुल्क आयुक्त बनाम अविनाश डावर और अन्न।

2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 13875; सीमा शुल्क आयुक्त

v. ज्योत्सना चिकेरसल और अन्न। **2019** एससीसी ऑनलाइन डेल **6574;** सीमा शुल्क आयुक्त बनाम अशोक कुमार जैन

2013 (292) ई**.** एल**.** टी**. 32 (**डेल**.)-**संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

कृष्ण मुरारी**,** जे**. [1957]** एस**.** सी**.** आर**. 721** के फैसले में

संदर्भित किया गया है

पैरा **40**

ग

संजय करोल के फैसले में**,** जे।

[2010] 15 एससीआर **937**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3**

[1990] 3 एससीआर **621**

संदर्भित किया गया है

पैरा **30**

[2009] 16 एससीआर **111**

संदर्भित किया गया है

पैरा **31**

डी.

वी. एस. नानकानी, वरिष्ठ अधिवक्ता, आशीष बत्रा, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।के. एम. नटराज, एन. वेंकटरमण, ए. एस. जी., वत्सल जोशी, राघव शर्मा, रजत शर्मा, ए. के. शर्मा, मुकेश कुमार मारोरिया, वी. सी. भारती, रुपेश कुमार, एच. आर. राव, ए. के. कौल, रंजीत कांत, सुश्री आकंशा कौल, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

ई.

न्यायालय के निर्णय * द्वारा दिए गए थे

कृष्णा मुरारी**,** न्या**.**

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर वर्तमान रिट याचिका सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (इसके बाद 'सीमा शुल्क अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत एक आरोपी के अधिकार के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के भारी महत्व का मुद्दा उठाती है।

च

2. रिट याचिकाकर्ता, जो एक अनिवासी भारतीय (संक्षेप में, 'एनआरआई') है, को 04.10.2022 को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था।यह प्रतिवादी का मामला है कि याचिकाकर्ता ने उच्च मूल्य के सामान की तस्करी करने की कोशिश की थी, मुख्य रूप से ग्रीन चैनल के प्रवेश द्वार से घड़ी, ताकि उस पर शुल्क का भुगतान करने से बचा जा सके।

जी.

* एड। ध्यान दें:माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मुरारी और माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय करोल द्वारा सुनाए गए अलग-अलग निर्णयों के संदर्भ में राय के विचलन को देखते हुए, मामले को उचित आदेशों के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को रखने का निर्देश दिया गया था।

एच.

क.

3. याचिकाकर्ता द्वारा सीमा शुल्क के माध्यम से माल की तस्करी करने की कोशिश करने के संदेह में, याचिकाकर्ता और उसके सामान की विस्तृत जांच की गई जिसके परिणामस्वरूप कुछ अन्य उच्च मूल्य के सामानों के साथ सात कलाई घड़ियां बरामद हुई।चूंकि याचिकाकर्ता ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 और 135 के तहत अपराध किए हैं, इसलिए उसे 05.10.2022 पर गिरफ्तार किया गया था।गिरफ्तारी के बाद, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की, जिसमें उसने उसे घर का बना खाना दिए जाने की अनुमति के लिए निर्देश जारी करने की मांग की।

4. याचिकाकर्ता, एक एनआरआई होने के नाते, 06.10.2022 से भारत के बाहर यात्रा करने में असमर्थ है, और इस तरह वह सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 127 के तहत निपटान आयोग के पास जाकर, कानून के अनुसार सीमा शुल्क विभाग को बकाया राशि और उस पर अर्जित किसी भी ब्याज का भुगतान करके विवाद को निपटाने के लिए उत्तरदायी है।हालाँकि, निपटान प्रक्रिया शुरू करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा नोटिस की आवश्यकता के कारण, याचिकाकर्ता ने एक आईए दायर कर इसकी मांग की।

ग

डी.

5. याचिकाकर्ता द्वारा दायर उपर्युक्त आई. ए. में, इस न्यायालय द्वारा एक एकतरफा आदेश पारित किया गया था, जिसमें सीमा शुल्क आयुक्त को कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता को कारण बताएँ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था।

6. प्रतिवादी ने तब, उपर्युक्त एकतरफा आदेश दिए जाने पर, उक्त आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया।उक्त मामले की सुनवाई के लिए निपटान आयोग के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर कई आधार उठाए गए।दोनों पक्षों को विस्तार से सुना गया, और 20.02.2023 दिनांकित आदेश के माध्यम से, उक्त एक-पक्षीय आदेश को वापस ले लिया गया।

ई.

च

7. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को वापस लेने के बाद, दोनों पक्षों ने गुण-दोष के आधार पर विस्तार से बहस की, और उक्त तर्कों के दौरान, याचिकाकर्ता द्वारा अतिरिक्त आधार, दस्तावेज और प्रार्थनाएं पेश करने के लिए एक आवेदन के माध्यम से बॉम्बे उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के दो निर्णयों के बीच एक स्पष्ट संघर्ष को हमारे ध्यान में लाया गया।इसके बाद, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा गुण-दोष के आधार पर मामले पर आगे बहस की गई और निर्णय सुरक्षित रखा गया।8. जब दो उच्च न्यायालय के फैसलों के बीच उपर्युक्त टकराव को हमारे संज्ञान में लाया गया, तो याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने हमें बताया कि दो उच्च न्यायालय के फैसलों के बीच इस तरह के टकराव, यदि किसी का ध्यान नहीं जाता है, तो संभावित ए है

जी.

एच.

919

यमाल मनोजभाई बनाम भारत और हमारा संघ। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

सीमा शुल्क अधिनियम के तहत आरोपित अभियुक्त व्यक्तियों को बहुत नुकसान पहुंचाना, और उन्हें निपटान के उपाय को लागू करने की शक्ति से वंचित करना।

विश्लेषण

9. सीमा शुल्क अधिनियम के तहत निपटान का मुद्दा, जिस पर हम नीचे विस्तार से चर्चा करेंगे, अनिवार्य रूप से एक आरोपी को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 127 (एच) के तहत प्रदान किए गए अभियोजन और दंड से प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए एक उपाय प्रदान करने की शक्ति रखता है। यदि ऐसा अधिकार अस्पष्टता के बादल के नीचे बना रहता है, तो यह न केवल अभियुक्त व्यक्तियों को कारावास के डर के बिना एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अर्जित मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा सकता है, और कुछ अभियुक्त व्यक्तियों को हिरासत से बाहर एक स्वतंत्र जीवन से वंचित होने के लिए अनावश्यक रूप से मजबूर कर सकता है।इसके अलावा, ऐसी परिस्थिति के परिणामस्वरूप समान तथ्यों और परिस्थितियों के साथ समान मामलों में विभिन्न न्यायनिर्णायक अधिकारियों द्वारा विपरीत विचार लिए जा सकते हैं।

ग

10. सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय XIV A द्वारा शासित निपटान आयोग को वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 (अधिनियम संख्या 102) की धारा 102 के आधार पर जोड़ा गया था। 1998 का XXI), कर अपराधी द्वारा प्रकटीकरण के आधार पर कर चोरी के मुद्दों को निपटाने के उद्देश्य से।इस तरह का खुलासा, यदि प्रामाणिक बनाया जाता है, तो कर चोरी करने वाले को जुर्माना या जुर्माना से छूट प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।हालांकि पहली नज़र में, ऐसा लग सकता है कि इस तरह का प्रावधान अपराधियों को दंडात्मक परिणामों से बचने की अनुमति देता है, जिससे सरकार को कोई लाभ नहीं होता है, हालांकि, प्रावधानों का गहरा विश्लेषण अन्यथा साबित होगा।अधिकांश अन्य अपराधों के विपरीत, कर अपराधियों द्वारा कर को रोके रखना सीधे देश के राजस्व को प्रभावित करता है।इसके अलावा, ऐसे विवादों से उत्पन्न जटिलताओं के कारण, उनके

निर्णय में अक्सर बहुत लंबा समय लगता है।ऐसे परिदृश्य में, जिसमें कर विवादों को हल करने में लगने वाला लंबा समय सीधे राजस्व को प्रभावित करता है और इसके परिणामस्वरूप देश का कल्याण होता है, विधायिका ने एक लाभकारी और समय की बचत करने वाले उपाय को लागू करना अनिवार्य पाया, जो न केवल सरकार को बकाया कर राशि को पुनः प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि व्यक्तियों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।इन विचारों से ही निपटान आयोग का जन्म हुआ था और इसलिए निपटान आयोग की अधिकारिता के मुद्दों पर निर्णय लेते समय इस पृष्ठभूमि को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

डी.

ई.

च

जी.

प्रारम्भिक उद्देश्य

11. सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है।

एच.

यह कहते हुए कि चूंकि मांगी गई मूल राहत विचाराधीन कैदियों को घर का पका हुआ भोजन प्रदान करने के अनुदान तक सीमित थी, इसलिए यह अदालत कानून के वर्तमान प्रश्न पर निर्णय लेने और दो उच्च न्यायालय के फैसलों के बीच संघर्ष को हल करने के लिए उपयुक्त मंच नहीं है।

12. वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों ने मामले के गुण-दोष और विचाराधीन कानून के बिंदु पर विस्तार से बहस की है।कानून के विवादित बिंदु में उक्त अस्पष्टता, दोनों उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णयों के कारण, वर्तमान में समान मुकदमों से निपटने वाले अभियुक्त व्यक्तियों और भविष्य के अभियुक्त व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को बहुत नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है, जिन्हें भी इसी तरह के मुकदमों से निपटना पड़ सकता है।

ग

13. ऐसे परिदृश्य में, जिसमें पक्षकारों और न्यायालय द्वारा इतना समय समर्पित किया गया है, यह न्यायालय एक अद्वितीय स्थिति में बैठता है जिसमें वह उक्त अस्पष्टता को दूर करने के लिए सभी आवश्यक ज्ञान से लैस होता है।यदि उक्त अस्पष्टता को दूर करने के लिए इस अदालत द्वारा इस तरह के अवसर का उपयोग नहीं किया जाता है, तो ऐसा होगा कि भविष्य में किसी बिंदु पर, इस अदालत को फिर से कानून के उसी प्रश्न का उत्तर देने का काम सौंपा जाएगा, जिसके लिए अदालत द्वारा फिर से उसी कार्य को पूरा करने के लिए एक बड़ा समय खर्च किया जाएगा, जिससे पहले निपटा जा सकता था।न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की इस तरह की कमी से न केवल मामलों के लंबित होने का बोझ बढ़ेगा, बल्कि देश भर के वादियों को भी आगे के लंबित होने का सामना करना पड़ेगा।इसलिए यह आवश्यक है कि यह न्यायालय, इस उदाहरण पर, इस तरह की शरारत का निवारण करे, ताकि न्यायालय और भविष्य के वादियों को इस तरह की अस्पष्टता के कारण होने वाली कार्यवाही और शरारत से बचाया जा सके।

डी.

ई.

14. जहाँ तक प्रारंभिक प्रार्थना से विचलन के आधार पर वर्तमान रिट याचिका की स्थिरता का संबंध है, यह निर्णयों के एक समूह में अभिनिर्धारित किया गया है कि यह न्यायालय, रिट अधिकार क्षेत्र के तहत, मांगी गई राहत से बाध्य नहीं है और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मूल राहत से परे जा सकता है।इसके अलावा, ऐसी स्थिति में जहां दो उच्च न्यायालयों के बीच कानूनी मुद्दे पर मतभेद है, केवल तकनीकी आपत्तियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त हमारी शक्तियों का प्रयोग करने के रास्ते में खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।15. अनुच्छेद 32 को इतना महत्व देने का कारण यह है कि एक अंग के रूप में राज्य, यदि नियंत्रण और संतुलन के बिना छोड़ दिया जाता है, तो एक अत्याचारी संस्थान बनने की क्षमता रखता है जो अपने लोगों की नागरिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हल्के में ले सकता है।ए पर राज्य के इस झुकाव पर अंकुश लगाने के लिए

च

जी.

एच.

921

यमाल मनोजभाई बनाम भारत और हमारा संघ। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

इसकी जड़ों में, संवैधानिक योजना ने राज्य तंत्र के भीतर एक अंग की परिकल्पना की, अर्थात् न्यायिक अंग, जो राज्य की अत्याचारी प्रवृत्तियों में हस्तक्षेप करने की शक्तियों के साथ निहित है।यह निकाय, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, हालांकि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में राज्य के भीतर कार्य करता है, इसके खिलाफ भी लड़ता है।16. इसके अलावा, भारत के संविधान ने अपने द्वारा प्रदत्त अन्य सभी अधिकारों के अलावा, नागरिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को सर्वोच्च स्थान पर रखा है।ये नागरिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ, जो राज्य के खिलाफ तलवार और ढाल के रूप में कार्य करती हैं, संविधान के भाग III के माध्यम से आदर्श से प्रवर्तनीय अधिकारों में उनका अनुवाद पाती हैं।

17. संविधान के भाग III के तहत ऐसा ही एक अधिकार, जो अपने लोगों को राज्य के अत्याचार से बचाता है, संविधान का अनुच्छेद 32 है, जो अपने आप में संविधान के भाग III के भीतर आने वाला एक मौलिक अधिकार है, जो अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मौजूद है।अनुच्छेद 32 के अनुसार, राज्य की कोई भी कार्रवाई जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, या नागरिक या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाती है, अदालत की जांच के दायरे में आती है।

ग

डी.

18. संविधान सभा की बहस के दौरान, जब अनुच्छेद 32, जो उस समय प्रारूप संविधान का अनुच्छेद 25 था, के दायरे का सवाल उठाया गया था, तो संविधान निर्माताओं ने उक्त अनुच्छेद के दायरे और इसकी शक्तियों के विस्तार पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया।इन बहसों के दौरान डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने बहुत प्रसिद्ध रूप से कहा था कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है।डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का उक्त उद्धरण यहाँ निकाला जा रहा हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

“अब, महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि इस लेख पर बोलने वालों में से अधिकांश ने इस लेख के महत्व और महत्व को महसूस किया है।अगर मुझसे इस संविधान के किसी विशेष अनुच्छेद को सबसे महत्वपूर्ण के रूप में नामित करने के लिए कहा जाए-एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान अमान्य होगा-तो मैं इसके अलावा किसी अन्य अनुच्छेद का उल्लेख नहीं कर सकता था।यह संविधान की आत्मा और हृदय है और मुझे खुशी है कि सदन ने इसके महत्व को महसूस किया है।"

च

जी.

19. इसके अलावा, संविधान सभा के सदस्य फादर जेरोम डिसूजा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के महत्व पर जोर देते हुए कहाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"महोदय, मैं इस लेख के निहितार्थ की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके निहितार्थ संभवतः निम्नलिखित हैं -

एच.

पहले पढ़ने में स्पष्ट नहीं है।यह सदन और इस सदन के माध्यम से जिन विधानमंडलों को भविष्य में इस देश पर शासन करना है, वे आत्म-अस्वीकार या आत्म-त्याग के एक प्रशंसनीय और महत्वपूर्ण कार्य द्वारा, कुछ कानूनों और कुछ सिद्धांतों के प्रवर्तन को सर्वोच्च न्यायपालिका की शक्ति के तहत रखते हैं, और उन्हें भविष्य के वर्षों में चुनी जाने वाली संसदों के दायरे और नियंत्रण से हटा देते हैं।वे इन अधिकारों को हमले या परिवर्तन की संभावना से परे रखना चाहते हैं जो दलगत राजनीति की भावनाओं और उतार-चढ़ाव से लाया जा सकता है, उन्हें इस संविधान में बाद में प्रदान किए गए तरीके से नियुक्त न्यायाधीशों के अधिकार क्षेत्र में रखकर।महोदय, यह इसलिए है क्योंकि हम सभी मानते हैं-और यह मौलिक अधिकारों के इस अध्याय का निहितार्थ है-कि व्यक्ति के पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जो अविभाज्य हैं, जिन पर किसी भी मानवीय रूप से गठित विधायी प्राधिकरण द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता है, कि इन मौलिक अधिकारों को इस तरह से तैयार किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए इस प्रावधान द्वारा उन्हें मंजूरी और संरक्षण दिया गया है।

ग

डी.

जैसा कि मैंने कहा, महोदय, इसका निहितार्थ यह है कि एक व्यक्ति को उन लोगों की सामूहिक कार्रवाई से भी बचाया जाना चाहिए जो उसकी जरूरतों, उसके अधिकारों, उसके दावों की पूरी तरह से सराहना नहीं कर सकते हैं।और व्यक्तिगत व्यक्तित्व की पवित्रता, उसके विवेक के दावे, मैं कहने का साहस करता हूं, एक दर्शन पर आधारित, जीवन पर एक दृष्टिकोण जो अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक है।महोदय, यदि हमारे सभी लोग और उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से भौतिकवादी थे, यदि सही और गलत को बहुमत से आंका जाना था, तो मौलिक अधिकारों और उन्हें उच्च न्यायालय के संरक्षण में रखने का कोई महत्व नहीं है।ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मानते हैं कि लोकतंत्र की पूर्ण और सबसे अभिन्न परिभाषा में व्यक्ति की, उसके व्यक्तित्व की और उसके विवेक के दावों की इस पवित्रता को शामिल किया गया है और उस पर आधारित है, कि हमने इन अधिकारों को तैयार किया है।

ई.

च

महोदय, मैं आगे कहता हूं कि अंतिम विश्लेषण में हमें एक नैतिक कानून और नैतिक कानून के माध्यम से एक सर्वोच्च व्यक्ति से अपील करनी होगी, यदि इन मौलिक अधिकारों के लिए सर्वोच्च और पूर्ण अधिकार दिया जाना है और सबसे स्थिर मंजूरी प्राप्त करनी है।महोदय, महात्मा गांधी, अपने एक अविस्मरणीय वाक्यांश में, एक धर्मनिरपेक्ष ए की इच्छा का उल्लेख करते हुए

जी.

एच.

संविधान और उसमें सर्वोच्च व्यक्ति के नाम से बचने के लिए, चिल्लाया, "आप नाम को बाहर रख सकते हैं, लेकिन आप उस संविधान से चीज़ को बाहर नहीं रखेंगे।"और, महोदय, मेरा मानना है कि ये मौलिक अधिकार और उनके निहितार्थ वास्तव में एक स्वीकारोक्ति के समान हैं कि मानव एजेंसियों और मानव विधानमंडलों से परे एक शक्ति है जिसे प्रस्तुत किया जाना है, और ऐसे अधिकार हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिए।

इस अनुच्छेद के माध्यम से हम अपने सर्वोच्च न्यायपालिका को एक शक्ति, एक दर्जा और एक गरिमा देते हैं जो उनसे सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के उच्चतम गुणों का आह्वान करेगी।जब हम अनुच्छेद 103 से शुरू होने वाले संविधान के उस भाग पर आते हैं, तो इस अनुच्छेद के पूर्ण अर्थ को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जब हमें उन कदमों की जांच करनी होगी जिनके द्वारा इस देश में एक ईमानदार और पूरी तरह से निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाएगी।जब हम उस भाग पर विचार करते हैं, तो आइए हम इन अधिकारों को याद करें और यह सुनिश्चित करें कि इन सभी विभिन्न प्रावधानों को न्यायपूर्ण और निडर तरीके से लागू किया जाएगा।"

ग

डी.

20. यह पृष्ठभूमि है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 को लागू किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सर्वोच्च न्यायालय हमेशा राज्य के अन्य अंगों से निपटने के लिए सुसज्जित हो, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जहां मौलिक अधिकारों द्वारा गारंटीकृत नागरिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ खतरे में हैं।

ई.

21. इसके अलावा**,** यह हमारे ध्यान में आया है कि अतिरिक्त मामलों में

सीमा शुल्क आयुक्त बनाम राम निवास वर्मा **1,** सीमा शुल्क आयुक्त बनाम अविनाश डावर और अन्य **2,** और सीमा शुल्क आयुक्त बनाम ज्योत्सना चिकेरसल और अन्य। **3,** दिल्ली उच्च न्यायालय

बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले से विपरीत दृष्टिकोण लिया है।मेरी विनम्र राय में, इस न्यायालय द्वारा इस विषय पर आधिकारिक निर्णय की कमी के कारण कानून में ऐसी अस्पष्टता पैदा हुई है।कानून में निश्चितता की इस कमी के कारण विभिन्न क्षेत्राधिकारों में समान रूप से स्थित व्यक्तियों के अलग-अलग परिणाम सामने आए हैं।

च

22. ऐसी परिस्थिति में, जहां समान रूप से स्थित व्यक्ति अंतर परिणामों का शिकार हो रहे हैं, इस न्यायालय को निर्णयों के दो सेटों के बीच संघर्ष को हल करके ऐसी अस्पष्टता को स्पष्ट करना चाहिए,

जी.

1 2015 एससीसी ऑनलाइन डेल 11542 2 2015 एससीसी ऑनलाइन डेल 13875 3 2019 एससीसी ऑनलाइन डेल 6574

एच.

यह सुनिश्चित करने के लिए कि परस्पर विरोधी विचारों के कारण होने वाली शरारत को मिटा दिया जाए और कानून में निश्चितता बहाल की जाए।

23. उपर्युक्त चर्चाओं के आलोक में, हम केवल तकनीकीताओं पर याचिका की स्थिरता के संबंध में प्रतिवादी द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों से सहमत होने के लिए इच्छुक नहीं हैं और तदनुसार उन्हें अस्वीकार करते हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के दो वर्गों के बीच संघर्ष

24. गुण-दोष पर बहस के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने इस पर मजबूत भरोसा रखा

ग

भारत संघ बनाम सुरेश रहेजा और अन्य **4** का निर्णय।याचिकाकर्ता ने

उपर्युक्त मामले में प्रवेश के हरित चैनल के माध्यम से माल की तस्करी करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था।वर्तमान मामले के समान, सीमा शुल्क क्षेत्र के भीतर उसमें विवादित माल की जब्ती की गई थी।जब्ती के बाद, उसमें याचिकाकर्ता बकाया का निपटान करने और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 127 के तहत राहत पाने के लिए उत्तरदायी था, हालांकि, जब्त किए गए सामान का सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 123 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था, जो उक्त अधिनियम की धारा 127 बी के तहत मामलों के निपटान पर रोक लगाता है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद यहाँ निकाला जा रहा हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

"यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि जहां तक माल की उत्पत्ति का संबंध है, आभूषणों के साथ-साथ घड़ियों दोनों के संबंध में कोई विवाद नहीं है।इसलिए, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि प्रतिवादी उक्त अधिनियम की धारा 123 द्वारा डाले गए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, गलत है।एक बार जब माल की उत्पत्ति विवाद में नहीं थी, तो निपटान आयोग द्वारा अभिनिर्धारित उत्तरदाताओं को निपटान आयोग की अधिकारिता का आह्वान करने का अधिकार था और इसलिए, धारा 127 बी के परंतुक में निहित बाधा उनके रास्ते में नहीं आ सकती थी।की खोजःउपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में कि उत्तरदाता, जो निपटान आयोग के समक्ष आवेदक थे, उक्त अधिनियम की धारा 127 (बी) (1) में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं, उक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में एक संभावित दृष्टिकोण कहा जा सकता है।"

ई.

च

जी.

4 2011 (267) ई. एल. टी. 487 (बम.)

एच.

925

यमाल मनोजभाई बनाम भारत और हमारा संघ। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

क.

25. उक्त मुद्दे पर निर्णय लेते समय, बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि कोई अभियुक्त सीमा शुल्क क्षेत्र के भीतर पकड़ा जाता है, तो उसी अधिनियम की धारा 123 के तहत उल्लिखित वस्तुओं पर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 127 पर प्रतिबंध अनावश्यक है, और अभियुक्त निपटान के उपाय का हकदार है।

26. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, प्रति

इसके विपरीत, सीमा शुल्क के अतिरिक्त आयोग के फैसले पर भरोसा किया

बनाम अशोक कुमार 5.इस मामले में, जबकि याचिकाकर्ता के निपटान आवेदन को बनाए रखने योग्य माना गया था, हालांकि, उक्त फैसले के पैराग्राफ 10 में, अदालत द्वारा एक पारित संदर्भ दिया गया था जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता के व्यक्ति पर पाए गए सामान, क्योंकि उन्हें सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 123 के तहत उल्लेख नहीं मिला था, उसी अधिनियम की धारा 127 द्वारा वर्जित नहीं थे। उपर्युक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“यह विवाद में नहीं है कि वर्तमान मामला अधिनियम की धारा 127 बी (1) के किसी भी प्रावधान के दायरे में नहीं आता है। दूसरे शब्दों में, यह मामलों की किसी भी बहिष्कृत श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है।इस स्तर पर यह ध्यान दिया जा सकता है कि सीमा शुल्क के अतिरिक्त आयुक्त बनाम श्री राम निवास वर्मा (उपरोक्त) मामले में निर्णय एक ऐसा मामला था जिसमें आयातित वस्तुओं को धारा 127 बी (1) के तीसरे प्रावधान के तहत शामिल किया गया था और इसलिए उक्त निर्णय तथ्यों पर अलग है।"

डी.

ई.

27. अस्पष्टता के इस बादल को दूर करने के लिए, और उच्च न्यायालय के फैसलों के इन दो समूहों के बीच संघर्ष को निपटाने के लिए, हमें पहले सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 123 और धारा 127 बी का विश्लेषण करना चाहिए। सुविधा के लिए, संबंधित अनुभागों को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

“123. कुछ मामलों में सबूत का बोझ।

(1) जहां कोई भी माल जिस पर यह धारा लागू होती है, इस अधिनियम के तहत इस उचित विश्वास में जब्त किया जाता है कि वे तस्करी की गई वस्तुएं हैं, तो यह साबित करने का बोझ होगा कि वे तस्करी की वस्तुएं नहीं हैं -

जी.

(क) ऐसे मामले में जहां किसी व्यक्ति के कब्जे से ऐसी जब्ती की जाती है, -

((i) उस व्यक्ति पर जिसके कब्जे से माल जब्त किया गया था; और

5 2016 (336) ई. एल. टी. 224 (डेल)

एच.

926 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 4 एस. सी. आर.

((ख) यदि उस व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, जिसके कब्जे से माल जब्त किया गया था, उसके मालिक होने का दावा करता है, तो ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी;

(ख) किसी अन्य मामले में, उस व्यक्ति पर, यदि कोई हो, जो इस प्रकार जब्त किए गए माल का मालिक होने का दावा करता है।]

(2) यह धारा सोने की घड़ियों और वस्तुओं के किसी भी अन्य वर्ग पर लागू होगी जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।

127 ख**.** मामलों के निपटारे के लिए आवेदन।

ग

(1) कोई भी आयातक, निर्यातक या कोई अन्य व्यक्ति (जिसे इसके बाद इस अध्याय में आवेदक के रूप में संदर्भित किया गया है) निपटान आयोग को निर्णय लेने से पहले आवेदन कर सकता है कि मामले का निपटारा ऐसे रूप में और उस तरीके से किया जाए जो नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, और जिसमें उसके शुल्क दायित्व का पूरा और सही प्रकटीकरण हो जो उचित अधिकारी के समक्ष प्रकट नहीं किया गया है, जिस तरीके से ऐसा दायित्व वहन किया गया है, उसके द्वारा देय सीमा शुल्क की अतिरिक्त राशि स्वीकार की गई है और ऐसे अन्य विवरण जो नियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, जिसमें ऐसी देय वस्तुओं के विवरण शामिल हैं जिनके संबंध में वह गलत वर्गीकरण, कम मूल्यांकन या छूट अधिसूचना के अप्रयोज्य होने के कारण अल्प शुल्क स्वीकार करता है।बशर्ते कि ऐसा कोई आवेदन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि -

डी.

ई.

च

(क) आवेदक ने, जैसा भी मामला हो, ऐसी वस्तुओं के आयात या निर्यात के संबंध में प्रविष्टि बिल, या प्रेषण बिल दाखिल किया है, और ऐसे प्रविष्टि बिल या प्रेषण बिल के संबंध में, उचित अधिकारी द्वारा उसे कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया गया है; (ख) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में स्वीकार की गई शुल्क की अतिरिक्त राशि तीन लाख रुपये से अधिक है; और

जी.

(ग) आवेदक ने धारा 28 एबी के तहत देय ब्याज के साथ अपने द्वारा स्वीकार की गई सीमा शुल्क की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया हैः

एच.

927

यमाल मनोजभाई बनाम भारत और हमारा संघ। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

क.

बशर्ते कि अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय में लंबित मामलों में इस उप-धारा के तहत निपटान आयोग द्वारा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगाःबशर्ते कि इस उप-धारा के तहत उन वस्तुओं के संबंध में कोई आवेदन नहीं किया जाएगा जिन पर धारा 123 लागू होती है या उन वस्तुओं के संबंध में जिनके संबंध में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के तहत कोई अपराध किया गया हैःबशर्ते कि सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के तहत माल के वर्गीकरण की व्याख्या के लिए इस उप-धारा के तहत कोई आवेदन नहीं किया जाएगा।

ग

(1 क) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां 1 जून, 2007 से पहले उप-धारा (1) के तहत आवेदन किया गया था, लेकिन धारा 127 सी की उप-धारा (1) के तहत आदेश उक्त तिथि से पहले नहीं किया गया है, आवेदक 1 जून, 2007 से तीस दिनों की अवधि के भीतर स्वीकृत शुल्क दायित्व का भुगतान करेगा, जिसमें विफल रहने पर उसका आवेदन खारिज होने के लिए उत्तरदायी होगा।"

डी.

28. सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 123 में कहा गया है कि यदि कोई आरोपी माल की तस्करी के कार्य में अधिकारियों द्वारा पकड़ा जाता है, तो सबूत का बोझ, जो मूल रूप से अभियोजन पक्ष के पास निहित होता है, वापस कर दिया जाता है और उसे अभियोजन पक्ष से बचाव पक्ष को स्थानांतरित कर दिया जाता है।सरल शब्दों में, इसका मतलब यह होगा कि ऐसे मामलों में, अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त व्यक्ति के अपराध को साबित करने के बजाय, अभियुक्त को ही अपनी बेगुनाही साबित करने का काम सौंपा जाता है।

ई.

29. सबूत के बोझ का यह निर्वहन, हमारी राय में, केवल उन मामलों में हो सकता है जहां आरोपी के निर्दोष होने की उचित संभावना हो।वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को सीमा शुल्क क्षेत्र के भीतर विवादित सामान के साथ पकड़ा गया था।ऐसे परिदृश्य में, जहां आरोपी के व्यक्ति पर और सीमा शुल्क क्षेत्र के भीतर विवादित सामान पाया जाता है, आरोपी के निर्दोष होने की कोई भी संभावना असंभव हो जाती है, क्योंकि अवैध कार्य अपराध की गर्मी में फंस जाता है।

च

जी.

30. चूँकि भार प्रमाण का निर्वहन, बल्कि, सीमा शुल्क क्षेत्र के भीतर बरामदगी के मामलों में प्रमाण के बोझ का सवाल ही अनावश्यक हो जाता है, डिफ़ॉल्ट रूप से, ऐसा प्रावधान जो इस तरह के कार्य को अनिवार्य करता है

एच.

अनावश्यक हो जाता है।इसलिए उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, सीमा शुल्क क्षेत्र के भीतर जब्ती के मामलों में, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 123 लागू नहीं हो सकती है और इसलिए, बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा पारित सुरेश निर्णय (सुप्रा) में निर्णय कानून की सही स्थिति बताता है।यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय को इस न्यायालय के समक्ष अपील में आक्षेपित किया गया था, और दिनांक 1 के आदेश के अनुसार, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले से सहमति व्यक्त की थी और राजस्व की अपील को खारिज कर दिया था।चूँकि यहाँ मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ उपर्युक्त मामले के समान हैं, इसलिए हमें यहाँ अलग दृष्टिकोण रखने का कोई ठोस कारण नहीं मिलता है।

ग

31. उपर्युक्त तथ्यों और चर्चाओं के आलोक में, हमारी राय है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा सुरेश निर्णय (सुप्रा) में दिया गया निर्णय कानून की सुधार स्थिति की व्याख्या करता है, और हम इससे सहमत हैं और अनुमोदन करते हैं।

32. जबकि उच्च न्यायालय के फैसलों के दो समूहों के बीच संघर्ष को समाप्त कर दिया गया है, हमारी राय में उक्त व्याख्या से निकलने वाले कुछ अन्य मुद्दों को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।

डी.

33. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने अपनी दलीलों के माध्यम से तर्क दिया कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 77 द्वारा अनिवार्य रूप से माल की गैर-घोषणा, निपटान आयोग के अधिकार क्षेत्र को हटा देती है।उक्त विवाद में स्पष्टता लाने के लिए, हमें पहले आने वाले यात्रियों की निकासी के दो तरीकों पर प्रकाश डालना चाहिए, जो प्रवेश का लाल चैनल मोड और प्रवेश का हरा चैनल मोड है।

ई.

34. जब कोई आने वाला यात्री सीमा शुल्क सत्यापन से गुजरता है, तो उसके पास मंजूरी के दो विकल्प होते हैं, जो प्रवेश का लाल चैनल मोड और प्रवेश का हरा चैनल मोड है।जब कोई आने वाला यात्री प्रवेश के लाल चैनल मोड का लाभ उठाता है, तो यात्री द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि उनके पास शुल्क के लिए उत्तरदायी सामान हैं, और इसलिए, उनके स्वयं के प्रवेश के आधार पर, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 77 के अनुसार शुल्क की आवश्यकता वाले सामान की घोषणा करना अनिवार्य है।

च

जी.

35. यदि कोई यात्री प्रवेश के लिए ग्रीन चैनल मोड का विकल्प चुनता है, तो इसका तात्पर्य है कि यात्री, प्रवेश के लिए रेड चैनल मोड का विकल्प नहीं चुनने के कारण, यह कह रहा है कि उसके पास ऐसा कोई सामान नहीं है जो शुल्क के लिए उत्तरदायी हो, और इसलिए, यह माना जाता है कि वे सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 77 के तहत "शून्य" शुल्क योग्य सामान ले जाने की घोषणा कर रहे हैं।

एच.

929

यमाल मनोजभाई बनाम भारत और हमारा संघ। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

क.

36. हालांकि, अगर कोई यात्री प्रवेश के लिए ग्रीन चैनल का विकल्प चुनने का फैसला करता है, लेकिन फिर भी वह उन सामानों के साथ पाया जाता है जो शुल्क लगाने के अधीन हैं, तो वे सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार ज़ब्ती और दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। चूँकि वे सीमा शुल्क अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों के अधीन हो जाते हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से, यह भी निहित होना चाहिए कि उन्हें उसी अधिनियम के अनुसार निपटान का लाभ दिया जाता है। ऐसे परिदृश्य में कोई भी शल्य चिकित्सा नहीं की जा सकती है, जिसमें अभियुक्त को अधिनियम के दंडात्मक परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, हालांकि, उसी अधिनियम के तहत उपचार के लाभ से वंचित किया जाता है।

37. इसके अलावा, अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 77 के तहत एक गैर-घोषणा आने वाले यात्री को स्वचालित रूप से निपटान का लाभ उठाने से रोक देगी, हमारे अवलोकन के आलोक में कि ग्रीन चैनल मोड के माध्यम से प्रवेश अधिनियम की धारा 77 के तहत "शून्य" माल की घोषणा का तात्पर्य है, तो निपटान का प्रावधान अप्रासंगिक और निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आरोपी कभी भी निपटान का लाभ नहीं उठा पाएगा।

ग

डी.

38. इसलिए, उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति समझौते के वैधानिक उपाय का विकल्प क्यों नहीं चुन सकता है, और इसलिए इस संबंध में उत्तरदाताओं की आपत्ति को अस्वीकार करते हैं।39. फिर हम अंतिम मुद्दे पर आते हैं जो हमारे विचार की आवश्यकता है।प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान वकील ने तर्क दिया कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर विवादित सामान का आयात करता है, वह एक तस्कर है, और इस तरह, ऐसे मामलों में निपटान आयोग से संपर्क नहीं किया जा सकता है।

ई.

40. उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा किया गया यह तर्क, हमारी राय में, कानून में भी गलत है।मामले में

च

टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2006 6,

बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने इसी तरह के मुद्दे पर निर्णय लेते हुए, लीलावती बाई बनाम मैसूर राज्य 7 के मामले में इस अदालत की संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, अधिनियम की धारा 127 बी में उल्लिखित वाक्यांश "या अन्यथा" की एक विस्तृत व्याख्या की और कहा कि निपटान आयोग के अधिकार क्षेत्र को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है जिसने तस्करी, धोखाधड़ी या जानबूझकर अपराध किया हो।

जी.

6 (201) ईएलटी 529 (बम) 7 एयर 1957 एससी 521

गलत घोषणा।बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"46..... इसके विपरीत, सीमा शुल्क अधिनियम में, प्रावधान यह अनिवार्य बनाता है कि आवेदक कारण बताएँ नोटिस जारी होने के बाद ही आवेदन दायर कर सकता है, जो कारण बताएँ नोटिस जैसा कि हमने ऊपर बताया है, जब्त करने से भी संबंधित होगा।यानी यह कहना कि जिस व्यक्ति ने धोखाधड़ी या तस्करी या जानबूझकर गलत घोषणा की है, उसे केवल इस तरह का कारण बताएँ नोटिस प्राप्त होगा और आवेदन करने से पहले ऐसा कारण बताएँ नोटिस आवश्यक घटक है।..."

ग

41. इसके अलावा, बॉम्बे उच्च न्यायालय के उपर्युक्त फैसले को एक अपील के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, और इसे इस न्यायालय द्वारा 03.08.2011 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, जिससे उच्च न्यायालय के फैसले को और मजबूती मिली।

42. उपर्युक्त चर्चाओं के आधार पर, हमारी राय है कि इस संबंध में भी प्रत्यर्थी का तर्क खारिज किया जा सकता है।

डी.

निष्कर्ष

43. याचिकाकर्ता द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों के माध्यम से, यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि सीमा शुल्क आयुक्त ने याचिकाकर्ता को कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया है।चूंकि कारण दर्शाओ नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है, इसलिए इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया गया है।यदि याचिकाकर्ता द्वारा निपटान का आवेदन दायर किया जाता है, तो उस पर निपटान आयोग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 127 एच के तहत निर्धारित विधि और प्रक्रिया के अनुसार अपने गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तथापि, हम यह अवलोकन करना उचित समझते हैं कि यदि समझौता आयोग बिल्कुल भी उचित समझता है, तो वह समझौते के इस एक बार के अवसर के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद भी समझौता आयोग के भीतर नियुक्त "आयोग (जांच)" से आगे की रिपोर्ट मांग सकता है।

ई.

च

जी.

44. हम मामले के गुण-दोष पर कोई भी टिप्पणी करने से बचते हैं और इसे निपटान आयोग द्वारा विचार के लिए छोड़ देते हैं।

45. आवेदन के साथ रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

न्यायमूर्ति, संजय करोल

1. मैंने अपने सम्मानित भाई, माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मुरारी द्वारा प्रस्तावित विद्वतापूर्ण राय को पढ़ा है।सम्मानपूर्वक, मैं अपने आप को सहमत होने के लिए राजी करने में असमर्थ हूँ; इसलिए, मैं अपने निष्कर्षों को अलग से लिखता हूँ।

2. हमारे समक्ष विचार के लिए दो मुद्दे उठते हैं; पहला कि क्या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 127 बी के तहत कोई निपटान उपाय जब्त किए गए सामान के लिए उपलब्ध होगा, जो उक्त अधिनियम की धारा 123 के तहत निर्दिष्ट हैं?दो, क्या उपस्थित तथ्यों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शक्तियों का प्रयोग उचित होगा?

ग

सीमा शुल्क अधिनियम की प्रकृति, दायरा, उद्देश्य और योजना

3. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) को समुद्री सीमा शुल्क, भूमि सीमा शुल्क और हवाई सीमा शुल्क से संबंधित प्रावधानों को एक व्यापक उपाय में समेकित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।यह तस्करी की गई वस्तुओं से सख्ती से और तेजी से निपटने और इस तरह से होने वाले राजस्व पर अंकुश लगाने का एक कार्य है।इस अधिनियम में माल को जब्त करने और इसके विपरीत किसी भी माल का आयात करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

डी.

लगाए गए प्रतिबंधों के लिए [सीमा शुल्क आयुक्त बनाम एम. अंबालाल, (2011) 2 एस. सी. सी. 74 (2-न्यायाधीश पीठ)]।

4. अधिनियम के पीछे के विधायी इरादे को समझने के लिए, उसमें योजना पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है।

ई.

5. अधिनियम का दूसरा अध्याय सीमा शुल्क अधिकारियों की नियुक्ति और अधिनियम के तहत उनकी शक्तियों से संबंधित है।

6. अध्याय III सीमा शुल्क बंदरगाहों और हवाई अड्डों की नियुक्ति को निर्दिष्ट करता है जिसमें आयातित वस्तुओं को उतारा जाएगा और निर्यात वस्तुओं को लादा और साफ किया जाएगा।

च

7. अध्याय IV केंद्र सरकार को भारत की सुरक्षा बनाए रखने और तस्करी को रोकने जैसे उसमें उल्लिखित उद्देश्यों के लिए वस्तुओं के आयात या निर्यात को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।

जी.

8. अध्याय IVA में अवैध रूप से आयातित वस्तुओं का पता लगाने और उनके निपटान की रोकथाम का प्रावधान है।

9. अध्याय 5 सीमा शुल्क के अधिरोपण और उससे छूट को निर्दिष्ट करता है।

एच.

क.

10. अध्याय VII आयातित और निर्यातित वस्तुओं की निकासी से संबंधित है।यह अध्याय माल की सफाई नहीं होने पर नियोजित प्रक्रिया से भी संबंधित है।

11. अध्याय XI सामान, आयातित या निर्यात की गई वस्तुओं और आवश्यक घोषणा के संबंध में विशेष प्रावधानों को स्पष्ट करता है।इस अध्याय में, धारा 83 आयातित या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क दर और शुल्क लगाने की अनुमति देती है।

12. अध्याय XIII में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी से संबंधित शक्तियों का प्रावधान है।इस अध्याय में, सीमा शुल्क अधिकारी को धारा 105 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने गलत घोषणा (धारा 132) की हो सकती है, सीमा शुल्क अधिकारी को बाधित किया हो सकता है (धारा 133) या सीमा शुल्क से बचा हो सकता है जो भुगतान करने योग्य है (धारा 135)।इसके अलावा, धारा 108 बी उचित अधिकारी द्वारा निर्देशित जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता को दंडित करती है।

ग

13. अध्याय XIV माल की जब्ती और दंड लगाने की अनुमति देता है।धारा 111 और 112 के तहत उन वस्तुओं की एक सूची दी गई है जो जब्ती और उसके जुर्माने के लिए उत्तरदायी हैं।धारा 123 कुछ निर्दिष्ट जब्त माल के सबूतों के बोझ को उलट देती है।14. अध्याय XIVA में मामलों के निपटारे के लिए तंत्र शामिल है।

डी.

15. अधिनियम के अध्याय XVI में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराधों और अभियोजन का उल्लेख किया गया है। यह अध्याय दंड के रूप में कुछ अपराधों के लिए कारावास अधिरोपित करता है।वे इस प्रकार हैंःसीमा शुल्क से संबंधित झूठी घोषणा करना (धारा 132; 1 वर्ष तक बढ़ सकती है), सीमा शुल्क अधिकारी की बाधा (धारा 133; 1 वर्ष तक बढ़ सकती है), एक्स-रे से इनकार (धारा 134; 6 महीने तक बढ़ सकती है) और शुल्क या निषेध की चोरी (धारा 135; सात वर्ष तक बढ़ सकती है)।

ई.

च

16. उपरोक्त को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की योजना में सीमा शुल्क लगाना, वस्तुओं को जब्त करना और जेल सहित विभिन्न दंडात्मक परिणामों के रूप में इसे टालने या टालने का प्रयास करना शामिल है।यह अधिनियम के उद्देश्य का अनुसरण करता है, जैसा कि इस न्यायालय ने अंबालाल (उपरोक्त) में उल्लेख किया है, जो कानून के भीतर निषेधों का उल्लंघन करते हुए भारत में तस्करी किए गए सामानों से सख्ती से और तेजी से निपटना है।

जी.

17. उपरोक्त अधिनियम के इरादे को ध्यान में रखते हुए, मैं अब विवाद से संबंधित धाराओं पर चर्चा करता हूंःअधिनियम की धारा 123 और धारा 127 बी।

एच.

933

यमाल मनोजभाई बनाम भारत और हमारा संघ। [संजय करोल, जे।] ए.

क.

18. अधिनियम की धारा 123 कुछ मामलों में सबूत के बोझ को स्पष्ट करती है।वह इस प्रकार हैः

“123. कुछ मामलों में सबूत का बोझ।—

(1) जहां कोई भी माल जिस पर यह धारा लागू होती है, इस अधिनियम के तहत इस उचित विश्वास में जब्त किया जाता है कि वे तस्करी की गई वस्तुएं हैं, तो यह साबित करने का बोझ होगा कि वे तस्करी की वस्तुएं नहीं हैं -

(क) ऐसे मामले में जहां किसी व्यक्ति के कब्जे से ऐसी जब्ती की जाती है, -

((i) उस व्यक्ति पर जिसके कब्जे से माल जब्त किया गया था; और (ii) यदि उस व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, जिसके कब्जे से माल जब्त किया गया था, अपने मालिक होने का दावा करता है, तो ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी;

ग

(ख) किसी अन्य मामले में, उस व्यक्ति पर, यदि कोई हो, जो इस प्रकार जब्त किए गए माल का मालिक होने का दावा करता है।

डी.

(2) यह धारा सोने [और उसके निर्माताओं], घड़ियों और वस्तुओं के किसी भी अन्य वर्ग पर लागू होगी जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।"

19. अधिनियम की धारा 127 बी न्यायनिर्णयन लंबित मामले के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा मामलों के निपटारे के लिए आवेदन प्रक्रिया से संबंधित है।महत्वपूर्ण रूप से, उक्त परंतुक में कहा गया है कि उन वस्तुओं के संबंध में कोई आवेदन नहीं किया जाएगा जिन पर धारा 123 लागू होती है।वह इस प्रकार हैः

ई.

" 127 ख. मामलों के निपटारे के लिए आवेदन।—

च

(1) कोई भी आयातक, निर्यातक या कोई अन्य व्यक्ति (जिसे इसके बाद इस अध्याय में आवेदक के रूप में संदर्भित किया गया है), उससे संबंधित किसी मामले के संबंध में, निपटान आयोग को निर्णय लेने से पहले, मामले का निपटान करने के लिए एक आवेदन कर सकता है, ऐसे रूप में और ऐसी तरीके से जो नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, और जिसमें उसके कर्तव्य दायित्व का पूरा और सही प्रकटीकरण होता है जो उचित अधिकारी के सामने प्रकट नहीं किया गया है, जिस तरीके से ऐसा दायित्व वहन किया गया है, उसके द्वारा देय सीमा शुल्क की अतिरिक्त राशि और ऐसे अन्य विवरण जो नियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

जी.

एच.

जिसमें ऐसी देय वस्तुओं के विवरण शामिल हैं जिनके संबंध में वह गलत वर्गीकरण, कम मूल्यांकन या छूट अधिसूचना [या अन्यथा] के लागू न होने के कारण अल्प शुल्क स्वीकार करता है और ऐसे आवेदन का निपटान इसके बाद दिए गए तरीके से किया जाएगाः

बशर्ते कि ऐसा कोई आवेदन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि-(क) आवेदक ने ऐसी वस्तुओं के आयात या निर्यात के संबंध में, जैसा भी मामला हो, प्रवेश पत्र या प्रेषण पत्र दाखिल नहीं किया है और ऐसे प्रवेश पत्र या प्रेषण पत्र के संबंध में, उचित अधिकारी द्वारा उसे कारणदर्शक सूचना जारी नहीं की गई है।

ग

(ख) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में स्वीकार की गई शुल्क की अतिरिक्त राशि तीन लाख रुपये से अधिक है; और

(ग) आवेदक ने धारा 28 एबी के तहत देय ब्याज के साथ अपने द्वारा स्वीकार की गई सीमा शुल्क की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया हैः

डी.

बशर्ते कि अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय में लंबित मामलों में इस उप-धारा के तहत निपटान आयोग द्वारा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगाःबशर्ते कि इस उप-धारा के तहत उन वस्तुओं के संबंध में कोई आवेदन नहीं किया जाएगा जिन पर धारा 123 लागू होती है या उन वस्तुओं के संबंध में जिनके संबंध में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के तहत कोई अपराध किया गया हैःबशर्ते कि सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के तहत माल के वर्गीकरण की व्याख्या के लिए इस उप-धारा के तहत कोई आवेदन नहीं किया जाएगा।"

ई.

च

(जोर दिया गया) 20.याचिकाकर्ता का तर्क है कि अधिनियम की धारा 123 निपटान के लिए वर्तमान मामले में लागू नहीं होगी, क्योंकि स्वीकार किए गए विदेशी मूल के सामान ग्रीन चैनल को पार करने पर सीमा शुल्क क्षेत्र के भीतर जब्त किए जाते हैं। याचिकाकर्ता ने निर्णय पर भरोसा रखा है

जी.

भारत संघ बनाम सुरेश रहेजा, 2011 (267) में बॉम्बे उच्च न्यायालय

ई. एल. टी. 487 (बम.), जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में जहां माल की उत्पत्ति के बारे में कोई विवाद नहीं है, धारा 127 बी के परंतुक में निहित बाधा धारा 123 के तहत निर्दिष्ट माल के संबंध में बाधा नहीं बनेगी।

एच.

935

यमाल मनोजभाई बनाम भारत और हमारा संघ। [संजय करोल, जे।] ए.

क.

21. इसके अलावा, याचिकाकर्ता का तर्क है कि विधायी उद्देश्य निपटान के लिए दरवाजे खोलना है न कि यांत्रिक तरीके से लाभकारी प्रावधानों का सख्ती से अर्थ लगाना जो मामलों के निपटान को रोक सके।

विश्लेषण और तर्क

22. यह कानून की योजना और सरल निर्माण है।धारा 127 बी और 123 के स्पष्ट अध्ययन पर, यह स्पष्ट है कि धारा 127 बी (1) का परंतुक निर्दिष्ट करता है कि वस्तुओं की कुछ श्रेणियां निपटान आयोग के अधिकार क्षेत्र से वर्जित हैं।इनमें धारा 123 के तहत उल्लिखित सामान और एन. डी. पी. एस. अधिनियम से संबंधित सामान शामिल हैं। इसलिए, धारा 127 बी के तहत सहारा नहीं लिया जा सकता है यदि उपरोक्त वस्तुओं में से कोई भी शामिल है।

ग

23. माल की उत्पत्ति के बारे में किसी भी विवाद के बिना भी, अधिनियम की धारा 127 बी धारा 123 के तहत गणना की गई वस्तुओं के संबंध में निपटान के लिए लागू नहीं होगी क्योंकि यह धारा 135 के तहत वर्तमान मामले में आरोप लगाए गए शुल्क से बचने जैसे कुछ अपराधों को करने के लिए दंडात्मक परिणामों की वैधानिक योजना के खिलाफ है। 24.इसलिए, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि विधायी इरादा सभी मामलों के निपटारे के लिए है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

डी.

25. इसके अलावा, धारा 127 बी इसके अनुप्रयोग के लिए विशिष्ट शर्तें निर्धारित करती है, और परंतुक वस्तुओं की श्रेणियां प्रदान करता है जिनमें निपटान नहीं किया जा सकता है।इससे यह स्पष्ट होता है कि धारा 127 बी सभी श्रेणियों के मामलों में लागू होने के लिए नहीं है।केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में ही निपटान आयोग को आवेदन किया जा सकता हैः

ई.

क) आवेदक ने, जैसा भी मामला हो, ऐसी वस्तुओं के आयात या निर्यात के संबंध में प्रविष्टि बिल, या प्रेषण बिल दाखिल किया है, और ऐसे प्रविष्टि बिल या प्रेषण बिल के संबंध में, उचित अधिकारी द्वारा उसे कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया है;

च

(ख) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में स्वीकार की गई शुल्क की अतिरिक्त राशि तीन लाख रुपये से अधिक है।

जी.

(ग) आवेदक ने धारा 28 एबी के तहत देय ब्याज के साथ अपने द्वारा स्वीकार की गई सीमा शुल्क की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया हैःऔर

(घ) धारा 127 ख का परंतुक आकर्षित नहीं होता है।

एच.

936

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

26. इसके अलावा, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अधिनियम की योजना में अध्याय XVI के तहत गणना किए गए अपराधों के लिए जुर्माने और/या कारावास का भुगतान शामिल है। अधिनियम के तहत सभी अपराधों को धारा 127 बी के तहत निपटान आयोग के समक्ष जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह धारा 127 बी के प्रावधान के पीछे के विधायी इरादे को निरर्थक बना देगा, जो धारा 123 के तहत उल्लिखित वस्तुओं और मादक पदार्थ मनोदैहिक पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत निषिद्ध वस्तुओं सहित कुछ वस्तुओं को प्रतिबंधित करता है।महत्वपूर्ण रूप से, इस तरह की व्याख्या को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, धारा 11 के तहत भारत की सुरक्षा के रखरखाव के लिए माल के आयात को प्रतिबंधित करने की शक्ति, धारा 105 के तहत गिरफ्तारी की शक्तियां, धारा 108 के तहत समन करने की शक्ति, धारा 111 के तहत जब्ती और जिन अपराधों के लिए धारा 132 से धारा 135 तक कारावास दिया जा सकता है, उनका कोई आवेदन नहीं होगा, जिससे संबंधित विधायी प्रावधान प्रभावी रूप से शून्य हो जाएंगे।जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया था, इस तरह की व्याख्या से बिना घोषणा के माल का आयात करने वाले व्यक्ति को केवल धारा 127 बी के तहत सहारा लेकर जब्ती और आपराधिक अभियोजन से बचने की अनुमति मिलेगी। आपराधिक अभियोजन की रोकथाम दूषित हो जाएगी।

ग

डी.

यह देखा गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है।

26.1 सीमा शुल्क के अतिरिक्त आयुक्त बनाम राम निवास वर्मा**, 2015** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन डेल **11542 (**दिल्ली की **2-**न्यायाधीश पीठ**)**

ई.

उच्च न्यायालय), इसमें प्रतिवादी से 6452 ग्राम सोने की बरामदगी हुई थी।वह ग्रीन चैनल पार कर रहा था लेकिन सीमा शुल्क अधिकारी ने उसे रोक लिया।न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट है कि निपटान के लिए कोई आवेदन नहीं किया जा सकता है यदि यह उन वस्तुओं से संबंधित है जिन पर S.123 लागू होता है।

च

26.2 सीमा शुल्क आयुक्त बनाम अविनाश डावर और अन्र**,**

2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 13875 (दिल्ली उच्च न्यायालय की 2-न्यायाधीश पीठ), निपटान आयोग ने कहा कि चूंकि अवैध आयात की स्वीकृति है, इसलिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 123 के तहत विचार किए गए बोझ को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।अदालत ने इस आदेश को दरकिनार करते हुए कहा कि प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, 'सोने' के संबंध में धारा 127 बी के तहत एक आवेदन नहीं किया जा सकता है, जो विशेष रूप से धारा 123 के तहत सूचीबद्ध एक वस्तु है।

जी.

26.3 राम निवास वर्मा **(**सुप्रा**)** और अविनाश डावर **(**सुप्रा**)** के फैसलों का सीमा शुल्क आयुक्त बनाम ज्योत्सना चिकेरसल और अन्र**, 2019** एससीसी ऑनलाइन डेल **6574 (2-**जज ए**)** में पालन किया गया है।

एच.

937

यमाल मनोजभाई बनाम भारत और हमारा संघ। [संजय करोल, जे।] ए.

दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ) जिसमें प्रतिवादी से 6 सोने की छड़ें बरामद की गई थीं।उतरने की पर्ची या सीमा शुल्क क्षेत्र में कोई घोषणा या खुलासा नहीं किया गया था।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इन दोनों प्रावधानों के संयुक्त पठन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि धारा 123 (2) में निर्दिष्ट वस्तुओं से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए आयोग की अधिकारिता को बाहर रखा गया है।

26.4 उल्लेखनीय रूप से**,** उपर्युक्त मामलों में**,**

सीमा शुल्क आयुक्त बनाम अशोक कुमार मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय

जैन, 2013 (292) ई. एल. टी. 32 (डी. एल.), जिसमें बरामद घड़ियों के लिए 127 बी के तहत निपटान आवेदन की अनुमति दी गई थी, को इस आधार पर अलग किया गया है कि उक्त निर्णय में धारा 123 और उसके परिणामस्वरूप लगी रोक पर विचार नहीं किया गया था।

ग

26.5 यह भी ध्यान देने योग्य है कि सुरेश रहेजा **(**उपरोक्त**)** में तर्क उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में दिया गया था**,** जिसमें घड़ियों सहित पूरा सामान गीला हो गया था और बाढ़ से प्रभावित हुआ था।

डी.

27. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता से बरामदगी दिल्ली हवाई अड्डे पर ग्रीन चैनल को पार करने पर आई. डी. 1 पर की गई थी, जिसमें जांच एजेंसी के अधिकारियों ने उसे विदेशी मूल की घड़ियों सहित देय सामान के साथ पकड़ा था।घड़ी अधिनियम की धारा 123 में उल्लिखित वस्तुओं की श्रेणियों में से एक है। चूँकि माल की वसूली होती है जिस पर धारा 123 लागू होती है, इसलिए याचिकाकर्ता के लिए निपटान आयोग से संपर्क करने पर रोक है।मेरे विचार में, यह मामला कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारियों को प्रेषित किया जाना उचित है।

ई.

अनुच्छेद **32** के तहत अधिकारिता लिखें

च

28. मैंने विवाद के गुण-दोष पर कानून पर विचार किया है; हालाँकि, वर्तमान कार्यवाही की स्थिरता पर विचार करना भी आवश्यक है क्योंकि याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 को लागू किया है।

29. यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि जब संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है तो इस न्यायालय के पास व्यापक शक्तियां होती हैं।हालांकि, इस तरह का हस्तक्षेप मामले-दर-मामले के आधार पर और केवल तभी किया जाना चाहिए जब मौलिक अधिकार का सवाल उठे।

जी.

30. उत्तरी निगम बनाम भारत संघ, (1990) 4

एस**.** सी**.** सी**. 239 (2-**न्यायाधीश पीठ**),** यह न्यायालय सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के मुद्दे पर दायर एक याचिका में**,**

एच.

938

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

अनुच्छेद 32 के तहत कहा गया है कि याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार आयातित किसी भी सामान को हटाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा जो एक नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 32 का सहारा लेने का अधिकार देता है।इसलिए रिट याचिका खारिज कर दी गई।

31. दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2010) 2 एस. सी. सी. 114

(2-न्यायाधीश पीठ), सभी तथ्यों को सामने रखने और उचित राहत की मांग करने की अनिवार्य प्रकृति को दोहराया गया।

32. याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 55/2023 के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें केवल विचाराधीन कैदियों के लिए घर में पकाए गए भोजन के लिए परमादेश की अनुमति के लिए अनुरोध किया गया था (यह प्रश्न इस न्यायालय द्वारा अन्य रिट याचिकाओं में विचाराधीन है)।केवल बाद में वर्तमान विवाद के गुण-दोष से संबंधित राहत की मांग करते हुए एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया गया था, यानी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 127 बी के तहत निपटान के लिए प्रतिवादी संख्या 2 (सीमा शुल्क प्राधिकरण) को निर्देश। 33.याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया यह दृष्टिकोण, मेरे विचार में, अनुचित और अवांछनीय है, यदि उचित वैकल्पिक उपचारों को समाप्त नहीं करने के लिए दुर्भावनापूर्ण नहीं है।कथित रूप से मौलिक अधिकारों से संबंधित राहत की आड़ में, तत्काल आई. ए. में मांगी गई राहत प्रकृति में वैधानिक है-अधिनियम के तहत यानी निपटान के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए।34. ऐसे मामलों में जहां याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, इस न्यायालय से संपर्क करने के मौलिक अधिकार का सहारा लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।इसमें इस तरह का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं लाई गई है जो यह दर्शाती हो कि सीमा शुल्क विभाग ने संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करते हुए कार्रवाई की है।

ग

डी.

ई.

च

35. इसलिए, उपरोक्त को देखते हुए, वर्तमान आवेदन रखरखाव पर खारिज होने के लिए उत्तरदायी है।यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 32 की शक्ति के प्रयोग के लिए सुस्थापित सिद्धांतों को दरकिनार करने की प्रथा को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

जी.

उपर्युक्त शर्तों में, अंतर्वर्ती आवेदनों के साथ रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

दिव्या पांडे

मामला माननीय सीजेआई के समक्ष रखा जाना है।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

एच.